भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3305
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उच्च मूल्य वाले रसायनों का घरेलू उत्पादन

3305. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्रीमती भारती पारधीः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रासायनिक और पेट्रोरसायन आयात का वर्तमान मूल्य और मात्रा कितनी है;

(ख) क्या "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अंतर्गत प्राथमिकता वाले घरेलू उत्पादों के लिए किसी विशिष्ट उच्च-आयात मूल्य वाले रसायन और पेट्रोरसायन की पहचान की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयात पर निर्भरता कम करने हेतु उक्त चिन्हित रसायनों और पेट्रोरसायन के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रोत्साहन या नीतिगत समायोजन किए गए है।

(घ) गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने हेतु रसायनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों को अनिवार्य बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और सरकार द्वारा उक्त प्रगति को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2024-25 में, देश ने कुल 57.38 मिलियन मीट्रिक टन रसायन और पेट्रोरसायन का आयात किया, जिसका मूल्य 6,31,939.64 करोड़ रुपये था।

(ख) से (ङ): घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं:

प्लास्टिक पार्क: रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना हेतु योजना का क्रियान्वयन किया है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना और सक्षम साझा सुविधाओं के साथ आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी मदद मिल सके। अब तक 10 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

उत्कृष्टता केंद्र: नए मोलेक्यूल और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को मौजूदा प्रौद्योगिकी

में सुधार करने और पॉलिमर, रसायनों और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत, अब तक, 18 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) : भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को एकीकृत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हैं। पीसीपीआईआर की अवधारणा एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण में सामान्य अवसंरचना और सहायता सेवाओं के साथ की गई है ताकि व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान किया जा सके। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। इन पीसीपीआईआर ने 3.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 3.7 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया है।

इसके अलावा, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करके बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने के उपाय किए हैं ताकि घरेलू निर्माता और विदेशी आपूर्तिकर्ता, दोनों जनहित में या मानव, पशु या वनस्पति के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अथवा अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बीआईएस मानकों को पूरा कर सकें। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा अब तक राजपत्र में 72 रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए क्यूसीओ अधिसूचित किए जा चुके हैं।
